रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 37] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 13, 2013/माघ 24, 1934
No. 37] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 13, 2013/MAGHA 24, 1934

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

हैदराबाद, 7 फरवरी, 2013

(श्री सुकुमल कुमार चौधुरी, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का लाइसेंस सं. 2555 निरस्त करना)

फा. सं बी.वि.वि.प्रा./अधिसूचना/7/65/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम (1999 का 41) की धारा 14(1) तथा बीमा सर्वेक्षकों और हानि निर्धारकों के लाइसेंसीकरण, व्यावसायिक अपेक्षाओं और आचरण संहिता संबंधी विनियम, 2000 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 64 यूएम, 42डी और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण ने दिनांक 7 अगस्त 2012 के अपने आदेश सं. आईआरडीए/ओआरडी/एलसी/206/08/2012 के अनुसार श्री सुकुमल कुमार चौधुरी, सर्वेक्षक और हानि निर्धारक का लाइसेंस सं. एसएलए-2555/2008-2013 तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का सकारण आदेश पारित किया है ।

दिनांक 7 अगस्त, 2012 का उपर्युक्त आदेश सं. आईआरडीए/ओआरडी/एलसी/206/08/2012 श्री सुकुमल कुमार चौधुरी को 49, जोयमती नगर, पांडु, गुवाहाटी, असम के उनके पते पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित प्राधिकरण के पत्र सं. आईआरडीए/सर्वे.विभाग/एसएलए-2555, दिनांक 6-9-2012 के जरिये कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा सूचित किया गया है तथा प्राधिकरण की वेबसाइट अर्थात् www.irda.gov.in पर भी जनसाधारण की जानकारी के लिए रखा गया है ।

यह अधिसूचना बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64 यूएम की उप-धारा 7 में निहित विधिक अपेक्षा के अनुसार जनहित में जारी की जाती है ।

जे. हरिनारायण, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असाधारण/161/12]

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

Hyderabad, the 7th February, 2013

(Cancelling the License No. 2555 issued to Mr. Sukumal Kumar Choudhury, Surveyor and Loss Assessor)

F. No. IRDA/Notification/7/65/2013 .—In exercise of the powers conferred by Sections:64UM,42D and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), read with Section 14 (1) of the Insurance Regulatory and Development Authority Act (41 of 1999) and Regulations of Licensing, Professional requirements and Code of Conduct of Insurance Surveyors and Loss Assessors Regulations, 2000, Authority *vide* its order No. IRDA/ORD/LC/206/08/2012 dated 7th August, 2012 has passed speaking order for cancelling the License No.SLA-2555/2008-2013, with immediate effect, of Mr. Sukumal Kumar Chaudhary, Surveyor and Loss Assessor.

The said order No. IRDA/ORD/LC/206/08/2012, dated 7th August, 2012 has been communicated by the due process of law to Shri Sukumal Kumar Chaudhary at his address: 49, Joymoti Nagar, Pandu, Guwahati, Assam *vide* Authority's letter No. IRDA/Surv. Dept/SLA-2555, dated 6-9-2012 duly signed by the Competent Authority and is also placed for public information on the Authority's website i.e. www.irda.gov.in.

This notification is issued in public interest in terms of requirement of the law contained in sub-section 7 of Section 64UM of Insurance Act, 1938 (4 of 1938).

J. HARI NARAYAN, Chairman
[ADVT. III/4/Exty./161/12]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.